उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या-1/2017-आडिट-2-242/दस-2017-350(1)/2011
लखनऊ : दिनांक : 02 मई, 2017
कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में 05 मण्डलों यथा मिर्जापुर बस्ती, अलीगढ़, चित्रकूटधाम व देवीपाटन तथा नवसृजित 12 जनपदों यथा-औरैया, कन्नौज, बागपत, हापुड़, रामपुर, सम्भल, अमेठी, ललितपुर, शामली, पीलीभीत, संतकबीरनगर एवं कासगंज में विभागीय कार्यालयों में नये संवर्गीय अस्थाई पदों को दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक के लिए सृजित किये जाने की स्वीकृति कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/2016-आडिट-2-363/दस-2016–350(1)/2011 दिनांक 26 जुलाई, 2016 द्वारा निम्नवत प्रदान की गयी थी :-

क्रमांक	पदनाम	नवसृजित पद	वेतनमान
1	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी /सहायक निदेशक	12	15600-39100,(वेतन बैण्ड-3) ग्रेड वेतन-5400
2	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	05	9300-34800,(वेतन बैण्ड-2) ग्रेड वेतन-4800
3	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	05	9300-34800,(वेतन बैण्ड-2) ग्रेड वेतन-4200
4	प्रधान सहायक	05	9300-34800,(वेतन बैण्ड-2) ग्रेड वेतन-4200
5	लेखा परीक्षक	02	5200-20200,(वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-2800
6	आशुलिपिक	05	5200-20200,(वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-2800
7	वरिष्ठ सहायक	29	5200-20200,(वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-2800
8	कनिष्ठ सहायक	39	5200-20200,(वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-2000
9	वाहन चालक	05	5200-20200,(वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-2000
10	चपरासी	34	5200-20200,(वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-1800
11	चौकीदार	17	5200-20200,(वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन-1800
12	जलवाहक/फर्राश	05	5200-20200,(वेतन बैण्ड-1) ग्रेड वेतन 1800

2- उक्त पदों की आवश्यकता अभी बनी हुई है। अत: वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन यदि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जायें, दिनांक 01 मार्च, 2017 से दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3- यह स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1270/67-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है ।

4- उपर्युक्त संलग्नकों में इंगित पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मँहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे ।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि इस संबंध में होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के सुसंगत लेखाशीर्ष/मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा ।

कुमुदलता श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-1/2017-आडिट-2-242(1)/दस-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल/मा0 वित्त मंत्री उ0प्र0 शासन ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 छठवां तल संगम प्लेस सिविल लाइन्स इलाहाबाद ।
6- निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
8- वैभागिक आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।